



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406]
No. 406]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2005/भाद्र 30, 1927
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2005/BHADRA 30, 1927

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 603(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 811(अ) के जरिए गठित मौजूदा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के वर्तमान सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री ओ. पी. द्विवेदी के स्थान पर माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. के. सीकरी को एतद्द्वारा सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना 21 सितम्बर, 2005 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 674/1/2003-सीमा-शुल्क VIII]

एन. एम. कृष्णन, उप-सचिव

पाद टिप्पणी : अधिसूचना सं. 811(अ) दिनांक 15 दिसम्बर, 2004, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 15 दिसम्बर, 2004 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2005

G.S.R. 603(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange & Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government hereby appoints Hon'ble Mr. Justice A. K. Sikri, as Member of the existing Central Advisory Board constituted *vide* Notification No. G.S.R. 811(E) dated 15th December, 2004 in place of Hon'ble Mr. Justice O. P. Dwivedi.

2. This Notification shall come into force with effect from 21st September, 2005.

[F. No. 674/1/2003-Cus. VIII]

N. M. KRISHNAN, Dy. Secy.

Foot note : The Notification No. 811(E) dated 15th December, 2004 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 15th day of December, 2004.